



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(आवश्यक वस्तु अधिनियम) झांसी ।
उपस्थित: धीरेन्द्र कुमार- तृतीय (एच०जे०एस०)
(JO Code No. - UP 6145)

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद/ अन्तिम आख्या संख्या- ८२५/ २०२२

उमेशचन्द्र

बनाम

रविन्द्र कुमार सिंह

धारा- १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना- एण्टी पावर थेप्ट, जिला झांसी

मु०अ०सं०- १८६१/ २०२२

दिनांक- ११. ०२. २०२३

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में प्रस्तुत हुई । प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी । वादी मुकदमा ने न्यायालय में उपस्थित आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र ५९ प्रस्तुत किया गया अभियुक्त द्वारा शमन व राजस्व जमा किया जा चुका है । विवेचक द्वारा प्रेषित एफ०आर० से सतुष्ट हूं, एफ० आर० स्वीकृत होने में कोई आपत्ति नहीं है । एफ०आर० स्वीकार करने की कृपा करें ।

सुना गया ।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी मुकदमा की याचना अनुसार विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गयी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक ११. ०२. २०२३

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)

विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) /

अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी ।